अनुदान संख्या 56 – आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय
GRANT No. 56–MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	855,00,00		857,17,00	673,60,25	–183,56,75
पूरक	Supplementary	2,17,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					181,50,83
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			150,00	. .	–1,50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,50,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (18356.75 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 217.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान की 21 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.18356.75 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.217.00 lakhs obtained in October, 2008 and constituted 21 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	529.00			
पू.	S.	54.00	597.00	522.03	–74.97
पु.	R.	14.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	150.00	827.79	812.77	–15.02
पु.	R.	677.79			
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	12071.00	2716.16	2630.97	–85.19
पू.	S.	163.00			
पु.	R.	–9517.84			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	6500.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–6500.00			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	800.00	4332.75	4332.75	. .
पु.	R.	3532.75			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मु.	O.	63600.00	57584.67	57584.67	. .
पु.	R.	–6015.33			

शीर्ष Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	350.00			
			7.80	7.80	. .
पु.	R.	–342.20			

(I) 16741.00 लाख रु. का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिनमें से 16640.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2216'' -

(क) ''शहरी आवास - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - शहरी गरीब के लिए आवास स्कीम'' - 9500.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण थे।

(ख) ''सामान्य - अन्य व्यय - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीय तथा राज्य सरकार/अभिकरणों को सहायता'' - 390.00 लाख रु. विश्व बैंक द्वारा प्राप्तकर्ता निष्पादन खिड़की के अंतर्गत निधियों को न रखे जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''जलमल और सफाई - सफाई सेवाएं - शुष्क शौचघरों को परिवर्तित करने तथा नए शौचघरों का निर्माण करने के लिए कम लागत की सफाई'' - 1500.00 लाख रु.;

(ख) ''जलमल और सफाई - सफाई सेवाएं - पूर्वोत्तर क्षेत्र में जलमल प्रणाली का विकास/सुधार'' - 500.00 लाख रु.;

(I) Provision of Rs 16741.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these Rs.16640.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2216" –

(a) "Urban Housing - Assistance to Public Sector and Other Undertakings – Scheme for housing the urban poor"– Rs.9500.00 lakhs - due to delay in receipt of approval of the scheme.

(b) "General - Other expenditure - Assistance to PSU, National and State Government/ Agencies" - Rs.390.00 lakhs - due to non-keeping of funds by World Bank under recipient executed window.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services - Low Cost Sanitation for Conversion of dry latrines and construction of new ones" - Rs.1500.00 lakhs;

(b) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services –Development/Improvement of Sewerage System in North Eastern State" - Rs.500.00 lakhs;

(ग) ''अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - शहरी रोजगारोन्मुख कार्यक्रम - रोजगार संवर्धन/गरीबी उन्मूलन'' - 4000.00 लाख रु.; और

(घ) ''आवास - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - शहरी गरीब के लिए आश्रयों का निर्माण/उन्नयन'' - 500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जलमल और सफाई - सफाई सेवाएं - शुष्क शौचघरों के परिवर्तन तथा नए शौचघरों के निर्माण के लिए कम लागत की सफाई'' - 250.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से मांग प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन'' - 529.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 54.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 583.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 60.97 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(खा) मुख्य शीर्ष ''2216'' -

(क) ''सामान्य'' -

(i) ''भवन, आयोजना और अनुसंधान - राष्ट्रीय भवन संगठन'' - 1175.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 32.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर

(c) "Other General Economic Services - Urban Oriented Employment Programme - Employment Promotion / Poverty Alleviation" - Rs 4000.00 lakhs; and

(d) "Housing - Assistance to Public Sector and Other Undertaking – Construction / Upgradation of Shelters for Urban Poor" – Rs.500.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Low Cost Sanitation for Conversion of dry Latrines and Construction of New ones" – Rs 250.00 lakhs - due to non-receipt of demands from the Union Territory Governments.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2052" - "Secretariat - Urban Employment and Poverty Alleviation" –the original provision of Rs.529.00 lakhs was augmented to Rs.583.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.54.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.60.97 lakhs (including supplementary grant); and

(B) Major Head "2216" –

(a) "General" –

(i) "Building, Planning and Research – National Building Organisation" – the original provision of Rs.1175.00 lakhs was augmented to Rs.1207.00 lakhs by

1207.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 39.52 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुईं।

(ii) ''अन्य व्यय - अन्य संस्थाएं'' - 10.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 52.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 62.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 52.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन में छठे केंद्रीय वेतन आयोग रिपोर्ट लागू करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(ख) ''शहरी आवास - आवास सहकारिताएं - राष्ट्रीय सहकारिता आवास परिसंघ को सहायता अनुदान'' - 40.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 13.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 53.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 13.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''शहरी रोजगारोन्मुख कार्यक्रम - स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना'' के अंतर्गत 467.25 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीम के लिए अनुदान - जलमल और सफाई - सफाई सेवाएं - शुष्क शौचघरों को परिवर्तित करने एवं नए शौचघरों के निर्माण के लिए कम लागत की सफाई'' के अंतर्गत 9574.78 लाख रु. की बचत (13100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त होने के कारण

obtaining supplementary grant of Rs.32.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.39.52 lakhs (including supplementary grant).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

(ii) “Other Expenditure – Other Institutions” – the original provision of Rs.10.00 lakhs was augmented to Rs.62.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.52.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.52.00 lakhs (including supplementary grant) – due to requirement of less funds towards implementation of 6th Central Pay Commission Report in the Central Government Employees Welfare Housing Organisation.

(b) “Urban Housing – Housing Co-operatives – Grants-in aid to National Co-operative Housing Federation” – the original provision of Rs.40.00 lakhs was augmented to Rs.53.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.13.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.13.00 lakhs (including supplementary grant) – due to less expenditure on implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(III) Under Major Head “3475” – “Urban Oriented Employment Programme – Swaran Jayanti Shahari Rojgar Yojana” - saving of Rs.467.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from Union Territory Governments.

(IV) Under Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Sewerage and Sanitation – Sanitation Services - Low Cost Sanitation for Conversion of dry Latrines & Construction of New ones” – saving of Rs.9574.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13100.00 lakhs) was due to receipt

हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 179.43 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक लेकिन 100.00 लाख रु. से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 58 प्रतिशत और 92 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष ''2215'' - ''जलमल और सफाई - सफाई सेवाएं'' -

(का) ''उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जलमल प्रणाली का विकास/सुधार'' - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) ''शुष्क शौचघरों को परिवर्तित करने और नए शौचघरों का निर्माण करने के लिए कम लागत की सफाई'' - 250.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(II) मुख्य शीर्ष ''2216'' - ''शहरी आवास - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - शहरी गरीब के लिए आश्रय का निर्माण/उन्नयन'' - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(III) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''शहरी रोजगारोन्मुख कार्यक्रम - रोजगार संवर्धन/गरीबी उन्मूलन'' - 4000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - शहरी रोजगारोन्मुख कार्यक्रम - स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना'' - 3559.45 लाख रु. का अधिक व्यय (50500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से

of less demand from the State Governments.

(V) Under two heads savings of Rs.179.43 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 58 percent and 92 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head “2215” – “Sewerage and Sanitation - Sanitation Services” –

(A) “Development/Improvement of Sewerage System in North Eastern State” - excess of Rs.500.00 lakhs (against nil provision);

(B) “Low Cost Sanitation for Conversion of dry Laterines and Construction of New ones”– excess of Rs.250.00 lakhs (against nil provision);

(II) Major Head “2216” – “Urban Housing – Assistance to Public Sector and other undertakings – Construction/Upgradation of Shelters for Urban Poor”– excess of Rs.500.00 lakhs (against nil provision); and

(III) Major Head “3475” – “Urban Oriented Employment Programme – Employment Promotion/Poverty Alleviation” – excess of Rs.4000.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(IV) Major Head “3601” – “Grant for Centrally Sponsored Plan Schemes – Other General Economic Services - Urban Oriented Employment Programme – Swaran Jayanti Shahari Rojgar Yojana” – excess of Rs.3559.45 lakhs (against

लंबित व्यवहार्य प्रस्तावों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

the sanctioned provision of Rs.50500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear pending viable proposals received from State Governments.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

2. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6216" आवास के लिए कर्ज	Major Head "6216" Loans for Housing				
मू.	O.	150.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–150.00			

(I) 150.00 लाख रु. का प्रावधान "सामान्य - अन्य कर्ज - हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड" के अंतर्गत निधियों को उनके अपने संसाधनों से प्राप्त होने की वजह से हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड द्वारा निधियों की आवश्यकता न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंतत: इसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

(I) Provision of Rs.150.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under General – Other Loans – Hindustan Prefeb Limited" - due to non requirement of funds by Hindustan Prefeb Limited owing to funds being met through its own resources and was eventually surrendered.